



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .510/2017.....जिला.....अलवर.....

मै. रानूट्राल इण्डस्ट्रीज लि0, भिवाडी बनाम 1. सीटीओ, वृत्त-बी, भिवाडी 2. अपीलीय प्राधिकारी, अलवर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
24.03.2017	<p style="text-align: center;"><b>खण्डपीठ</b> <b>श्री मदन लाल, सदस्य</b> <b>श्री के.एल.जैन, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 24,15,187/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 1,61,822/- आरोपित की है एवं धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 21,60,318/- आरोपित की है, जो अविधिक व अन्यायिक है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 24,15,187/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। व्यवहारी फर्म द्वारा बाद फिटिंग का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर मौजूद पाये गये कच्चे एवं तैयार माल की भौतिक गणना की गई एवं संदेहास्पद दस्तावेजों की जांच के उपरान्त पायी गई करापवंचित बिक्री राशि रूपये 5,77,934/- पर 14 प्रतिशत की दर से कर राशि रूपये 80,911/-, धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 1,61,822/- एवं धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 16,182/- तथा धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 21,60,318/- आरोपित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त करारोपण आदेश के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2017 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन आंशिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 21,60,318/- की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>आदेश प्रसारित किया गया।</p>	
	 (के.एल.जैन)	 (मदन लाल)